कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1912 / 12-1 :देहरादूनःदिनांकः 3 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूं (सीमा रिस्टना) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.104 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No- FP/UK/ROAD/35197/2018)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाश रोड देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/74/2019/एफ0सी0/818 दिनांक 19.07.2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 3687/12–1(2) दिनांक 13.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	अध्यारोपित शर्ते	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदल 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमले) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथाशंसोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमले) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 25,16,006/– (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथाशंसोधित) कैम्पा कोष जमा करा दी गयी है। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करा दिया गया है। **(संलग्न–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 26,96,328/– कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। **(संलग्न–2)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित उक्त शर्त के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्नक कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि

	जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम कुल रू0 5212334.00 की धनराशि ऑनलाईन कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–4)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित उक्त शर्त के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्नक कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–5)**
6	State govt. may submit the DFO's Site inspection Report in original to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा प्रेषित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–6)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1712 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।